

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत निम्नांकित पणन पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक को जिन्हें कडिका-5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र०सं० | पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का नाम | गृह जिला | वर्तमान पदस्थापन | पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम |
|---------|---|-----------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री अजीत कुमार झा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी | सहरसा | फारबिसगंज, अररिया | प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड-जयनगर, मधुबनी |
| 2 | श्री कुणाल कुमार, आपूर्ति निरीक्षक | पूर्णियाँ | अररिया | आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड- बरारी, कटिहार |

2. उपर्युक्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक नव पदस्थापित स्थान पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।
3. प्रस्ताव पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की सहमति प्राप्त है ।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(भरत कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०३-स्था०-०१-०३/२०१८ १११

खाद्य, पटना/दिनांक- २६.०२.१८

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ एवं दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/जिला पदाधिकारी, अररिया, मधुबनी एवं कटिहार/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया, मधुबनी एवं कटिहार/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भरत कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०३-स्था०-०१-०३/२०१८ ११२

खाद्य, पटना/दिनांक- २६.०२.१८

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भरत कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव ।